


(1)

कार्यालय
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

निविदा फार्म

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल के सिविल मरम्मत कार्य का ई-निविदा प्रथम
आमंत्रण

ई-निविदा(प्रथम आमंत्रण)



(निविदा फार्म का मूल्य रू0 1000/-)

(निविदा फार्म क्र -----)

कार्यालय – डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल-462024 (म0 प्र0)
0755-2478250-51,52,53 - फेक्स,0755-2450896

(02)

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	आवरण पृष्ठ	01
2	अनुक्रमणिका	02
3	ई-निविदा सूचना विज्ञप्ति	03
4	अनुसूची प्रथम –निविदा कार्यक्रम एवं सामान्य निर्देश	04
5	अनुसूची द्वितीय –तकनीकी निविदा प्रपत्र –1	05
6	अनुसूची तृतीय –नियम शर्ते एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र – 2 (निविदा दर प्रस्ताव पत्रक सहित)	06 से 11
7	शेड्यूल आफ आर्टिम्स	12 से 21
8	एम.पी.पी.डबल्यू.डी. का आदेश।	22
कुल पृष्ठ – 22		

(3)

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल ।

डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल 462024 (म0 प्र0)

फोन नं. 0755 - 2478250- 51,52,53

निविदा सूचना क्र. 9867 / भो.स.दु.सं./याँ.-सिविल- / 2022

दिनांक. 26.08.2022

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल में सिविल मरम्मत कार्य हेतु ई- निविदा प्रथम आमंत्रण । तदानुसार ई-निविदा प्रथम आमंत्रण दि. 05.09.2022 को दोपहर 3:00 बजे तक ऑन लाईन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की वेब- साईट www.mptenders.gov.in पर डाउन लोड किया जा सकेगा। जो कि निम्नलिखित अनुसार है।

क्रं.	कार्य का विवरण।	निविदा प्रपत्र का मूल्य।	अमानत राशि (EMD)	कार्य की अनुमानित लागत। (लाखों में)
1	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल में सिविल मरम्मत के कार्य।	रु१,000 /—	रु. 72,540 /—	रु. 36.27 लाख

निविदा फार्म का मूल्य एवं अमानत राशि ऑन लाईन पर भुगतान की जाना है। निविदा की वैधता खुलने के बाद 90 दिन तक है। निविदाकार को दिनांक- 05.09.2022 तक दोपहर 3:00 बजे तक ऑन लाईन के माध्यम से लोक निर्माण विभाग के स्वयं के पंजीयन की प्रतिलिपि एवं वांछित कागजात जमा करने हैं। प्राप्त निविदायें ऑन लाईन पर दिनांक- 06.09.2022 को दोपहर 3:00 बजे खोली जावेगी। अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ., की वेब साइट www.sanchibhopal.com से प्राप्त की जा सकती है समस्त अथवा कुछ निविदाओं को अंशतः या पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल।

(4)

– अनुसूची प्रथम–
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
(सामान्य निर्देश)

- 1 निविदा सूचना क्रं. का विवरण – ई- निविदा (प्रथम आमंत्रण) सूचना क्रं 9867
/भो.स.दु.सं./ यॉ-सिविल / / 2022 दि० 26.08.2022
- 2 निविदा फार्म का मूल्य – राशि रू० 1,000/-
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल।
- 3 ई-निविदा प्रथम आमंत्रण दि. 05.09.2022 को दोपहर 3:00 बजे तक ऑन लाईन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की वेब- साईट www.mptenders.gov.in पर डाउन लोड किया जा सकेगा। जो कि निम्नलिखित अनुसार है। निविदा फार्म का मूल्य एवं अमानत राशि (EMD) की राशि online के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन की वेब- साईट www.mptenders.gov.in पर ही जमा किया जायेगा।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल में सिविल मरम्मत के कार्य।	रू. 72,540/- अमानत राशि (EMD)
--	-------------------------------

4. कार्य का विवरण – भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल में सिविल मरम्मत के कार्य का ई-निविदा प्रथम आमंत्रण।
कार्य की निविदा दरें ऑन लाईन के निर्धारित प्रोफार्मा पर भरनी हैं। निविदा दरें भरने से पूर्व निविदाकार को अनुसूची तृतीय के बिन्दु क्रं० 10 एवं 9-21 का अध्ययन किया जाना अनिवार्य है।
5. कार्य का मूल्य – रू. 36.27 लाख।
6. ऑन लाईन के माध्यम से निविदाकार को दिनांक- 05.09.2022 तक दोपहर 3:00 बजे तक अपने पंजीयन की प्रतिलिपि एवं वांछित कागजात जमा करने हैं।
7. प्राप्त निविदायें ऑन लाईन पर दिनांक 06.09.2022 को दोपहर 3:00 बजे खोली जावेगी।
8. अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ., की वेब साइट www.sanchibhopal.com से प्राप्त की जा सकती है।
9. समस्त अथवा कुछ निविदाओं को अंशतः या पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
10. सिविल कार्यो हेतु दरें एम.पी.पी.डबल्यू.डी., के 01.12.2020 के एस.ओ.आर., के अनुसार ऑन लाईन प्रोफार्मा पर भरनी है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल।

(5)

अनुसूची द्वितीय
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या0 भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या0 भोपाल।

विषय:- भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल में सिविल मरम्मत के कार्यों का ई-निविदा प्रथम आमंत्रण।

निविदाकार को दिनांक- 05.09.2022 तक दोपहर 3:00 बजे तक ऑन लाईन के माध्यम से लोक निर्माण विभाग के स्वयं के पंजीयन की प्रतिलिपि एवं वांछित कागजात जमा करने हैं।

(1) निविदाकार का नाम :- _____

(2) पूरा पता :- _____

(3) फोन नं0/मोबाइल नं0 :- _____

(4) लो0नि0विभाग म0प्र0 में पंजीयन व श्रेणी का विवरण :- _____

_____ (दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं)

5. PAN का विवरण :- _____
(दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं)

06. निविदाकार के जी.एस.टी. नंबर का विवरण :- _____

07. निर्माण कार्य अनुभव संबंधी विवरण :-

क्र.	निर्माण कार्य का विवरण			कार्य आदेश जारीकर्ता विभाग का विवरण	
	कार्य का विवरण	लागत राशि	कार्य पूर्ण करने की दिनांक	विभाग का नाम	कार्यादेश क्र. /दिनांक.
1					
2					

(उपरोक्त विवरण के साथ ही सिविल कार्य के आदेश एवं चाहे गये प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।

निविदा प्रपत्र में वर्णित दुग्ध संघ के समस्त नियम व शर्तें मुझे पूर्णतः मान्य हैं, व मेरे द्वारा प्रस्तावित कार्य व स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। उपरोक्तानुसार प्रदाय की गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि प्रस्तुत जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी निविदा निरस्त की जा सकती है, जिसके लिये मैं स्वयं जवाबदार रहूंगा।

स्थान _____

दिनांक _____

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम _____

(6)

**अनुसूची तृतीय
(नियम व शर्तें आदि)**

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल में सिविल मरम्मत के कार्य । पृष्ठ 12 से 21 पर दिये गये विवरण के अनुसार कार्य किया जाना है। लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार ऑन लाईन से निविदा जमा कर सकते हैं।

- 1 प्रस्तावित कार्य हेतु निर्धारित अमानत राशि रू0 72,540/- बगैर प्राप्त निविदा अमान्य मानी जावेगी। अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदाकारों की अमानत राशि, आवंटित कार्य पूर्ण होने की दिनांक से 24 माह की अवधि में वापस की जावेगी।
- 2 सफल निविदाकार को रू. 1,00,000/- की बैंक ग्यारंटी जमा करनी पड़ेगी। जो कार्य पूर्ण होने के एक मानसून के पश्चात् कार्य की स्थिति देखते हुये वापिस की जायेगी। इसके बिना कार्यादेश दिया नहीं जायेगा।
- 3 इसके अलावा सफल निविदाकार के प्रत्येक बिल में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि का कटौत्रा किया जायेगा।
- 4 निविदाकार यदि एम.पी.पी.डबल्यू.डी. एस.ओ.आर से 15 प्रतिशत नीचे से यदि और प्रतिशत कम रेट भरते हैं तो सफल निविदाकार को निविदा की कुल राशि का उतना प्रतिशत डी.डी. के रूप में दुग्ध संघ में जमा करना पड़ेगा और कार्य न करने की स्थिति में उनकी यह राशि अमानत राशि के साथ जब्त कर ली जावेगी। जैसे यदि वह 10 प्रतिशत एस.ओ.आर से नीचे रेट भरता है तो कुल निविदा राशि रूपये 100.00 लाख का 3 प्रतिशत रूपये 3,00,000/- जमा करने होंगे। इस स्थिति में भी यदि मुख्य कार्यपालन अधिकारी यदि भरी गई निविदा दर कार्य करने योग्य नहीं पाते हैं तो वे निविदा निरस्त करने का अधिकार रखते हैं।

(5) सुरक्षा निधि:-

- 5-1 कार्य के प्रत्येक चलित देयकों से 5% राशि सुरक्षा निधि के रूप में कटौत्रा की जावेगी। उक्त राशि आवंटित कार्य पूर्णता की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक दुग्ध संघ में जमा रहेगी तथा कार्य के संतोषजनक पाये जाने पर ही वापिस की जावेगी।
- 5-2 सुरक्षा निधि पर दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।

(6) डिफेक्ट लाएबिलिटी अवधि (Defect Liability period)

- 6-1 डिफेक्ट लाएबिलिटी अवधि कार्य पूर्णता दिनांक से 2 वर्ष की अवधि होगी।
- 6-2 डिफेक्ट लाएबिलिटी अवधि में कार्यों में यदि किसी भी प्रकार का डिफेक्ट पाया जाता है तो सफल निविदाकर्ता को पत्र/दूरभाष पर सूचना दिये जाने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में बताये गये डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का स्वयं के व्यय पर सुधार कार्य करना होगा।
- 6-3 निर्धारित समयावधि में बताये गये डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का सुधार कार्य पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी अन्य ऐजेन्सी/विभागीय स्तर से बताये गये डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का सुधार कार्य कराकर जमा सुरक्षा निधि व अमानत राशि से सुधार कार्य की राशि का समायोजन कर लिया जावेगा।

(7) निर्माण कार्य अवधि -

- 7-1 निर्माण कार्य हेतु निर्माण अवधि कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 90 दिन है।

(7)

(8) दर —

8-1 निविदा प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दर की वैधता निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवस होगी, परन्तु यदि प्रस्तुत दरें अमान्य की जाती हैं तो पुनः निविदा जारी किये जाने की दिनांक से पूर्व दर वैधता स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

8-2 निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दर स्थिर होना चाहिये, साथ ही दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि तक दर की वैधता को ध्यान में रखकर प्रेषित करें।

(8) (B) कार्य आदेश का निरस्तीकरण :-

8-1 निर्माण कार्य का पूर्ण/अंश भाग निर्माणकर्ता द्वारा अन्य निर्माणकर्ता/निर्माणकर्ताओं को, सबलेट (Sublet) नहीं किया जावेगा। यदि यह पाया जाता है कि निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य का पूर्ण/अंश भाग सबलेट किया गया है तो कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

8-2 निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार निविदाकार द्वारा नहीं-किया जाता है या दुग्ध संघ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सुधार कार्य दी गई समय-सीमा में यदि पूर्ण नहीं किया जाता है तो कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

8-3 निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता है तथा निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो किसी भी समय कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

8-4 निविदा की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

(9) सामान्य नियम व परिस्थितियाँ —

9-1 निविदाकार का म.प्र. लोक निर्माण विभाग में पंजीयन आवश्यक है।

9-2 पार्टनरशिप की निविदा अमान्य होगी।

9-3 निविदा में गलत पता व सही परिचय न होने के कारण निविदा स्वीकृत न हो सके तो इसका उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा दुग्ध संघ का नहीं।

9-4 निविदा खुलने के उपरांत निविदाकर्ता को निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में प्रेषित दरों के लिये निविदाकर्ता स्वयं जबाबदार होगा।

9-5 यदि कोई भी निविदाकर्ता इस निविदा में सम्मिलित होता है या निविदा प्रस्तुत करता है तो यह मान लिया जावेगा कि उसे निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। दुग्ध संघ द्वारा निविदाकर्ता की कोई भी शर्तें मान्य नहीं की जावेगी। यदि कोई नवीन अतिरिक्त कार्य कराना आवश्यक हो तो निविदाकार स्वीकृत निविदा दर पर ही कार्य करने के लिये बाध्य होगा।

9-9 सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा निर्माण कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 7-दिवस की समय सीमा में निविदा नियमों, शर्तों का समावेश करते हुये रु० 1000/- के, नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। निर्धारित समय सीमा में अनुबंध निष्पादित नहीं किये जाने पर जारी निर्माण कार्य आदेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

(8)

- 9-10 निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार किया जावेगा । यदि निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्डों अनुसार नहीं पाया जाता है तो कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा, तथा क्षतिपूर्ति की राशि जमा अमानत राशि / सुरक्षा निधि से वसूल की जावेगी ।
- 9-11 प्रपत्र -3 में उल्लेखित निर्माण कार्य को पूर्णतः/आंशिक रूप से कराये जाने/लंबित रखने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा तथा दिये गये निर्देशानुसार कम या ज्यादा कार्य करने हेतु निर्माणकर्ता बाध्य होंगे। उल्लेखित कार्य अधिक/अन्य कार्य कराये जाने -
पर दरें निविदा में स्वीकृत दर अनुसार रहेगी/एस0ओ0आर0 में वर्णित अनुसार अन्य आईटम का कार्य कराये जाने की स्थिति में स्वीकृत दर अनुसार भुगतान किया जावेगा ।
- 9-12 दुग्ध संघ द्वारा नियुक्त तकनीकी सलाहकार द्वारा कार्य हेतु डिजाईन दी जायेगी एवं कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा। अन्य जानकारी बाद में दी जायेगी।
- 9-13 निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत चलित देयकों/अंतिम देयकों से नियमानुसार आयकर, सुरक्षा निधि आदिका कटौतानियमानुसार किया जावेगा, अन्य कर यथा वाणिज्य कर, रायल्टी, आदि जो शासन आदि को देय होंगे निविदाकार द्वारा स्वयं जमा किये जावेगें। इस हेतु दुग्ध संघ जबावदार नहीं होगा।
- 9-14 मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ द्वारा यदि किसी भी समय कार्य आदेश निरस्त किया जाता है तो निरस्ती आदेश जारी होने की दिनांक से 7 दिवस की समय सीमा में निर्माण स्थल पर उपलब्ध निर्माण सामग्री व मशीनरी निर्माणकर्ता को हटाना अनिवार्य होगा । निर्धारित समय सीमा में निर्माण स्थल पर उपलब्ध निर्माण सामग्री व मशीनरी न हटाये जाने की स्थिति में निर्माण सामग्री व मशीनरी के नुकसान हेतु दुग्ध संघ जबावदार नहीं होगा।
- 9-15 मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ द्वारा कार्य आदेश निरस्त किये जाने पर किये गये निर्माण कार्य की राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा जमा सुरक्षा निधि की राशि राजसात कर ली जावेगी।
- 9-16 निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता हैं तो चलित देयकों से 10 प्रतिशत की राशि **Liquidated Damage** के रूप में कटौती की जावेगी तथा कार्य पूर्णता पर अंतिम देयक से **Liquidated Damage** की राशि कटौती के निर्धारण का अधिकार मुख्यकार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल का होगा तथा इस संबंध में लिया गया निर्णय निर्माणकर्ता ठेकेदार मानने हेतु बाध्य होंगे।
- 9-17 निर्माण कार्य के दौरान श्रम नियम, लेबर इश्यूरेंस एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के निर्वाहन की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी ।

(9)

- 9-18 निविदाओं में उचित दर प्राप्त नहीं होने पर दर के निर्धारण हेतु न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता/निविदाकर्ता को निगोशियेशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस हेतु पृथक से तिथि/समय सूचित की जावेगी।
- 9-19 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल को पूर्ण अधिकार है कि वे बिना कारण सूचित किये एक अथवा समस्त निविदाओं को पूर्णतः/आंशिक रूप से मान्य/अमान्य कर सकते हैं।
- 9-20 कार्य का भुगतान वास्तविक किये गये कार्य की नाप से होगा कार्य की मात्रा में या तरीके में परिवर्तन हो सकता है। जिसका भुगतान निविदा की स्वीकृत दर पर निविदाकार को किया जाएगा।
- 9-21 निविदाकार को निम्न प्रमाण पत्र निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा उसकी निविदा निरस्त हो सकती है।
(i) EPF पंजीयन
(ii) ESIC पंजीयन
(iii) पिछले तीन साल की ऑडिट बेलेंस शीट।
(iv) पिछले पाँच सालों में कम से कम कुल रू. 100.00 लाख के कार्य के प्रमाण पत्र जिसमें कार्यादेश एवं कार्य कम्प्लीशन प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- 9-22 कार्य के दौरान ठेकेदार के श्रमिक को किसी प्रकार की हानि जैसे— चोट लगना या दुर्घटना की स्थिति में दायित्व ठेकेदार का रहेगा। सफल निविदाकार को सामूहिक श्रमिक दुर्घटना बीमा कराना होगा। ठेकेदार को निर्धारित समय सीमा में कार्य संपादित करना होगा तथा संघ द्वारा प्रदत्त कार्य की डिजाईन के अनुसार ही संपादित करना होगा निर्माण कार्य में सभी उपयोग की जाने वाली सामग्री ठेकेदार को स्वयं लगाना होगा व्यवस्था किया जाना जैसे रेंट, गिट्टी सीमेंट, लोहा, जल, बिजली टूल्स आदि।
- 9-23 कार्य का स्तर उत्तम होना अपेक्षित है। यद्यपि कार्य का शेड्यूल आफ आईटम्स पृष्ठ क्रं0 12 से 21 पर दिया गया है। लेकिन कार्य का बिल ठेकेदार द्वारा किये गये वास्तविक कार्य के माप के अनुसार ही नियुक्त कंसलटेंट द्वारा कार्य के सत्यापन के बाद ही बनेगा। कार्य की निविदा दरें भरने से पूर्व अनुसूची तृतीय का बिन्दु क्रं0 10 एवं 9-21 का अध्ययन अच्छे से किया जाना निर्देशित है।
- 9-24 यदि कार्य एस.ओ.आर में सम्मिलित नहीं है तो मार्केट दरों का निरीक्षण कर उनके अनुसार कार्य निविदाकार से सम्पादित कराये जायेंगे।

9-25) निविदाकार निविदा दर भरने से पूर्व स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं। निविदा दर प्रस्तुत करने पर यह माना जायेगा कि उन्होंने कार्य स्थल का निरीक्षण भली भाँति करके निविदा दर भरी है। सशर्त निविदा मान्य नहीं की जायेगी।

9-26 निर्माण कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र आवंटित निर्माण कार्यों के संतोषजनक पूर्ण होने पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा विभागीय इंजीनियर की अनुशंसा पर जारी किया जावेगा।

9-27 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सशर्त निविदा अमान्य मानी जावेगी।

9-28 उक्त निविदा के कार्य अन्य स्थान, जिले एवं शहर के लिये मान्य नहीं होंगे।

(10) निविदा के दर भरने के पूर्व अति महत्वपूर्ण सूचना –

10-1 प्रायः यह देखा गया है, कि ठेकेदार अपनी निविदा उचित दर से भी न्यूनतम दर पर भरते हैं। यह प्रतियोगिता की दृष्टि से बाध्य हो कर किया जाता है। जिससे कार्य का स्तर उत्तम नहीं रह पाता है। यह निविदा भोपाल से बाहर के स्थानों के लिये है। जिसमें ठेकेदार को स्वयं के एवं अपने स्टॉफ के भोपाल से बाहर साईट पर जाने का वाहन किराया देना पड़ेगा एवं स्वयं के एवं अपने स्टॉफ के साईट के स्थान पर होटल या आवास किराये पर लेना पड़ेगा। जिसका उन्हें अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।

10-2 कंसलटेंट द्वारा दी गई डिजाईन के अनुसार एवं उनके निर्देशन में ही उत्तम विधि से कार्य किया जाना है। दरें भरने से पूर्व यह सूचित किया जाता है, कि निविदाकार द्वारा कार्य में उपयुक्त होने वाले सभी मटेरियल की एवं कांक्रीट क्यूब टेस्ट की जानी अनिवार्य है। जिसका उन्हें अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।

10-3 कार्य की आवश्यकता के अनुसार ठेकेदार से स्वीकृत निविदादर पर निविदा में उल्लेखित कार्यों के अतिरिक्त भी कार्य कराये जा सकते हैं। जिसकी डिजाईन कंसलटेंट द्वारा दी जायेगी एवं अतिरिक्त कार्य की अलग से स्वीकृति ली जायेगी एवं कार्यादेश दिया जायेगा।

10-4 कार्य की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये तराई का प्रबंध किया जाना है। जिसके लिये अलग से कोई भुगतान नहीं होगा।

10-5 निविदा दर भरते समय बाजार दर का अवलोकन करें। वर्तमान में लोहे एवं जी.आई. चादर के रेट एस.ओ.आर., से अधिक है। रेत, गिट्टी, सीमेंट एवं अन्य बिल्डिंग मटेरियल की दर भी परिवहन लागत बढ़ने के कारण बढ़ गये हैं। उक्त बिन्दुओं का परीक्षण करने के पश्चात ही निविदा की दर भरें।

अतः उक्त बिन्दुओं को देखते हुये ठेकेदार बिना किसी दवाब के एवं होशोहवास में उक्त निविदा कार्य हेतु अपनी निविदा दरें ऑन लाईन प्रोफार्मा पर दिनांक- 1 दिसम्बर सन् 2020 के एम.पी.पी. डबल्यू.डी., से जारी एस.ओ.आर. की दरों से ऊपर / नीचे प्रतिशत भरें। जिससे उन्हें बाद में कार्य करने में कोई कठिनाई न हो।

(11) विवादास्पद स्थिति में अंतिम निर्णय –

11-1 यदि निविदाकर्ता/निर्माणकर्ता या दुग्ध संघ के बीच कोई विवाद होता है तो वाद आर्बीट्रेशन हेतु एम.पी.सी.डी.एफ.,के प्रबंध संचालक को संदर्भित किया जावेगा एवं उनके द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही आर्बीट्रेशन एण्ड कॉन्सिलेशन अधिनियम 1996 के अंतर्गत संदर्भित होगी।

11-2 सभी प्रकार के विवादों हेतु न्यायालयीन क्षेत्राधिकार "भोपाल" होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल।

निविदा दर प्रस्ताव पत्रक

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित., भोपाल।

महोदय,

आपके द्वारा जारी ई-निविदा प्रथम आमंत्रण सूचना क्रं. 9867/भो.स.दु.सं./यां0-सिविल/22 दिनांक 26.08.2022 के संदर्भ में निर्माण कार्य हेतु मैं/हम अपनी दर निम्नानुसार प्रेषित करते हैं मेने/हमने आपके द्वारा प्रेषित नियम व शर्तें भली भांती पढ़ व समझली है तथा मुझे/हमे मान्य है एवं इसके परिपालन हेतु हम बाध्य है।

	कार्य का विवरण टेंडर आई.डी..... ...	अनुमानित लागत रु. लाख में	धरोहर राशि का विवरण (ऑन लाईन से जमा करना है।)	निविदा हेतु भरी जाने वाली दर
	2	3	4	5
A	भोपाल सह. दुग्ध संघ मर्या., भोपाल में सिविल मरम्मत कार्य हेतु पृष्ठ क्रं 12 से 21 तक दिये गये शेड्यूल आफ आईटम्स के विवरण के अनुसार। कृपया निविदादर ऑन लाईन पर भरने के पूर्व अनुसूची तृतीय के बिन्दु क्रं 10 एवं 9-21 का अध्ययन भली भांती किया जाना अपेक्षित है।	रु. 36.27 लाख	रु. 72,540/-	M.P.P.W.D.S.O.R प्रभावी दिनांक -01.12.2020 के अनुसार% शब्दों में.....) कम/अधिक/समान (जो लागू न हो उसे काट दें)

नोट :- निविदाकार को अपनी निविदा दरें ऑन लाईन पर दिये गये प्रोफार्मा में भरनी है।

निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर

नाम-
पता/ मो.नं-
.....

(12)

Boiler Building Repairing of Column and Beam Extra Work

- (1) Breaking of Old Columns 3 no. x 1.6 x 0.10 x 6.0 =2.88 Cum
S.O.R. No.15.3
- (2) R.C.C. work in old Column 3 x 6.0 x 0.6 x 0.2 =2.16 Cum
M- 20 Concreting S.O.R. No.15.1.1
For Construction of 2 New Column. -
- (3) Earth work in Excavation- 2 m x 2 m x 1.5 m 2 no. =12 Cum
S.O.R. No.2.6
- (4) Breaking of Concrete - 2 m x 2 m x 0.80 m x 2 no. =6.40 Cum
S.O.R. No.15.3
- (5) P.C.C. M- 10
S.O.R. No.4.1.1.2 2 m x 2 mx 0.20 x 2 no. =1.60 Cum
- (6) Footing 1st S.O.R. No.5.1.1
R.C.C. M – 20 1.20 x 1.20 x 0.60 x 2 no. = 1.72 Cum
- (7) Column S.O.R. No.5.2.1
M-20 0.4 x 0.4 x 4.00 m x 2 no. = 1.28 Cum
- (8) R.C.C. Concrete Beam 16 m x 0.70 x 0.50 = 5.60 Cum
M- 20
- (9) Centering S.O.R. No.5.9.1
- | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------|
| Footing | 2 x 8 m x 0.20 | = 3.20 Sqm |
| Footing | 2 x 4.80 x 0.60 | = 5.76 Sqm |
| (ii) R.C.C. Beam- | <u>16 m x 0.60</u> | <u>= 9.60 Sqm</u> |
| | | =18.56 sqm |
| (iii) Column S.O.R. No.5.9.6 | 2 x 4.00 x 2.40 | = 19.20 Sqm |
| Old Columns - | <u>3 x 6 m x 1.0</u> | <u>= 18.00 Sqm</u> |
| | | = 37.20 sqm |

(13)

(1) New Column Beam Reinforcement work -

S.O.R. No. 5.16.6

16 m.m. Dia	2 x 8 no. x 6.30 m x 1.57 Kg./m	=
Ring Column-	<u>6 m</u> = 2 x 31 x 1.20 x 0.395	=
	0.2	
Reinforcement of -	3 x 4 x 6.00 x 1.57	=
Column Ring	<u>6m</u> = 2 x 31 x 1.20 x 0.395	=
	0.2	
Beam 16 mm dia	6 x 16 x 1.57 Kg/m	=
Ring of Beam	<u>16</u> = 81 x 2.80 x <u>0.395</u>	=
	<u>0.2</u>	
		= 570.73 kg

(11) White washing work -

S.O.R. No. 13.54.3

$$1 \times 20 \times 6 = 120 \text{ Sqm}$$

BOILER CHHAJJA

Breaking of concrete 21 m x 2.40 m x 0.20 = 10.08 cum

S.O.R. No. 15.3

Profile Sheet - 21 m x 2.10 = 44.10 Sqm /-

S.O.R. No. 12.15

M.S. tublar section

S.O.R. No. 11.14.1

$$\begin{aligned} &64 \text{ m} \times 5 \\ &105 \text{ m} \times 5 \\ &\underline{60 \text{ m} \times 8.5} \\ &= 1355 \text{ kg} \end{aligned}$$

Concrete M-10

S.O.R. No. 4.1.1.2

$$5 \times 1.0 \times 1.0 \times 1.0 = 5 \text{ Cum}$$

$$\underline{5 \times 1.0 \times 1.0 \times 1.0 = 5 \text{ Cum}}$$

$$= \underline{10 \text{ cum}}$$

Total Amount = Rs. 367225/-

(14)

- Construction of Parking with Shed Work -

(1)	Earth work - S.O.R. No. 2.6-	24.00 m x 4.88 m x 0.20 = 23.42 Cum		
(2)	Hard Muram Filling SOR - 2.27.1	24.00 x 4.88 x 0.20 = 23.42 Cum		
(3)	Stone Dust S.O.R. No. 2.26	24.00 x 4.88 x 0.10 = 11.71 Cum		
(4)	P.C.c. M- 10 S.O.R. No. 4.1.1.2	24.00 x 4.88 x 0.10 = 11.71 Cum		
(5)	Paver block S.O.R. 11.66	24.00 x 4.88 = 117.12 Sqm		
(6)	M.S. Tubular Section Square Pipe Trass S.O.R. no. 10.14.1	850 Kg.		
(7)	Profile Sheets S.O.R. No. 12.15	24.00 x 4.88 = 117.12 Sqm		
			TOTAL	Rs. 3,00,265/-

(15)

**- Marketing Building Back Side Boundary wall Dismantling
And New Boundary wall Construction -**

- (1) Breacking of Concrete - $30 \text{ m} \times 0.20 \times 0.10 = 2.40 \text{ Cum}$
S.O.R. No. 15.3
- (2) Breacking of Boundary Wall $30 \text{ m} \times 2.5 \text{ m} \times 0.20 = 15.0 \text{ Cum}$
S.O.R. no. 15.6.3
- (3) Earth work in excavation - $\frac{300}{3.5} = 85.71 = 9 \text{ no.} \times 2 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 1.60 =$
S.O.R. no. 2.6
- (4) Base On Concrete - $9 \text{ no.} \times 2 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 0.10 = 3.60$
M- 10
S.O.R. no. 4.1.1.2
Column - $9 \text{ m} \times 0.30 \times 0.30 \times 3.5 = 2.84 \text{ cum}$
M- 20
S.O.R. No. 5.2.1
- (5) Plinth Beam $30 \text{ m} \times 0.30 \times 0.30 = 2.70 \text{ Cum}$
S.O.R. no. 5.1.1
Bricks Work - $30 \text{ m} \times 2.10 \text{ m} \times 0.20 = 12.60 \text{ Cum}$
S.O.R. 6.6.2
Plastering - $2 \times 30 \text{ m} \times 2.10 = 126.0 \text{ Sqm}$
S.O.R. no. 13.3.2
White Washing - $2 \times 30 \text{ m} \times 2.10 = 126.0 \text{ Sqm}$
SOR Item no. 13.54.3
- (6) Centtering $9 \times 8.0 \times 0.10 = 7.2 \text{ Sqm}$
SOR no. 5.9.1
Column $9 \times 1.20 \times 3.6 = 38.88 \text{ Sqm}$
Beam $30 \times 2 \times 0.20 = 12 \text{ Sqm}$
58.08

(16)

(7) Steel

Plinth Beam – Main Bar - 6 no. x 30 m x 0.617

Stripps - 151 no. x 1.00 x 0.395

Column-Main Bar - 6 no. x 3.50 x 12 no. x 0.617

Rings - 12 no. x 18 no. x 1.00 x 0.395

Footing - 12 no. x 12 no. x 0.90 x 0.617

Total = 491.47 K.g

TOTAL

Rs. 1,77,818/-

(17)

- Car Parking 2 Shed work -

Size - 80' x 12'

- (1) Excavation -
S.O.R. No. 2.6-
 $2 \times 16 \text{ no.} \times 0.60 \times 0.60 \times 0.60 = 6.90 \text{ Cum}$
- (2) M- 20
S.O.R. No. 5.1.2
 $2 \times 16 \text{ no.} \times 0.40 \times 0.40 \times 0.60 = 1.536 \text{ Cum}$
- (3) Shuttering
S.O.R. no. 5.9.1
 $2 \times 16 \text{ no.} \times 0.40 \times 0.40 \times 0.60 = 3.08 \text{ Sqm}$
- (4) M.S. Pipe
S.O.R. no. 10.41.1 $2 \times 650 \text{ Kg.} = 1300 \text{ K.g.}$
- (5) Profile Shed - $2 \times 24.00 \times 3.66 = 175.68 \text{ Sqm}$
- (6) Pa..... Block $10 \text{ m} \times 22 \text{ m} = 220 \text{ Sqm}$ SOR No. 11.66
- (7) Stone Dust - $10 \text{ m} \times 22 \text{ m} \times 0.10 = \underline{22 \text{ Cum}}$
SOR No. 2.26
- TOTAL Rs. 4,08,413/-**

SOR Item No. 11.35

Kota Stone Slab flooring over 20 m.m. (Average)
 thick base laid over and jointed with grey cement
 Sherry mixed with pigment to match the shade of
 The slab including rubbing and polishing complete
 With base of cement.

Kota Stone fixing for floor -

SOR Item No. 11.35

Powder Room	-	11.28 x 7.32 =	82.57 Sqm
Air Lock	-		33 Sqm
Butter Churn Hall	-	13.55 x 4.35 =	58.94 Sqm
	-	13.55 x 7.00 =	94.85 Sqm
Ghee Packing Room	-	13.72 x 13.72 =	188.24 Sqm
Ghee Room	-	13.72 x 13.72 =	188.24 Sqm
Processing Hall	-	24.20 m x 6.70 m =	162.14 Sqm
	-	6.60 m x 6.60 m =	43.56 Sqm
New Ghee Room	-	15 m x 15 m =	225 Sqm
Butter Filling Room	-	6.70 x 6.70 =	44.89 Sqm
New Butter Hall Front Area	-	4 m x 10.20 =	40.80 Sqm
		TOTAL	= 1162.23 Sqm

Scrapping

SOR Item No. 14.27

Removing white or colour wash
 By scrapping and sand papering
 And preparing the surface smooth
 Including necessary repairs to scratches etc.
 Complete.

(1) Powder Milk Room	-	156.50 Sqm
(2) Butter churn Hall	-	424.07 Sqm
(3) Processing Hall	-	1110.26 Sqm
(4) Lab	-	203.08 Sqm
(5) Butter Packing	-	258.76 Sqm
(6) Boiler Outer wall	-	822.23 Sqm
(7) Administration	-	694.38 Sqm
(8) Marketing	-	648.17 Sqm
(9) Canteen	-	673.58 Sqm
(10) B.C.C . Bank	-	229.39 Sqm

Inner

(11)	Administration	-	1274.38 Sqm
(12)	Marketing	-	622.23 Sqm
(13)	Audit	-	<u>121.36 Sqm</u>
	Total	=	7238.39 Sqm x

**Deluxe Multi Surface Paint interiors
And exteriors - (Old Work)**

SOR Item No. 14.53.1

Finishing walls with Deluxe Multi surface
Paint system for interiors and exteriors
Using primer as per manufacturers specifications :

(On Wall) One or more coats applied on
Walls @ 0.85 Ltr/ 10 Sqm.

(1) Powder Milk Room	-	156.50 Sqm
(2) Butter churn Hall	-	424.07 Sqm
(3) Processing Hall	-	1110.26 Sqm
(4) Lab	-	203.08 Sqm
(5) Butter Packing	-	258.76 Sqm
(6) Boiler Outer wall	-	822.23 Sqm
(7) Administration	-	694.38 Sqm
(8) Marketing	-	648.17 Sqm
(9) Canteen	-	673.58 Sqm
(10) B.C.C . Bank	-	229.39 Sqm

Inner

(11) Administration	-	1274.38 Sqm
(12) Marketing	-	622.23 Sqm
(13) Audit	-	<u>121.36 Sqm</u>

Total = 7238.39 Sqm x

(21)

- Garage Building Back Side and other Boundary Wall Work -

(1)	Site Clearance and old Jali fixing	-	
(2)	Earth Work	-	27.36 Cum x
	SOR No. 2.6		
(3)	Centering and shuttering	-	164.92 Sqm
	SOR No. 5.9.1		
(4)	M- 10 PCC	-	1.15 Cum
	SOR No. 4.1.1.4		
(5)	R.C.C. Sheet	-	1410 K.g.
	SOR No. 5.16.6		
(6)	M- 20	-	8.69 Cum
	SOR No. 5.1		
(7)	M- 20 Super Structure	-	6.18 Cum
	SOR NO. 5.2		
(8)	Brick work	-	22.99 Cum
	SOR No. 6.6.2		
(9)	Plaster	-	332.20 Sqm
	SOR No. 13.3		
(10)	Painting Work	-	332.20 Sqm
	SOR No. 13.57		

TOTAL	Rs. 32,38,357/-
Add 12% GST	Rs. 3,88,602/-
Grand Total	Rs. 36,26,959/-

Say 36.27 Lacs

Note:- वाटर प्रूफिंग के आईटम बदले जा सकते हैं एवं कंसलटेंट द्वारा दी गई ड्राईंग के अनुसार कार्य किया जाना है।

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
म.प्र. लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल (म.प्र.)

website : www.mp.gov.in/pwdmp

email : pwdbhop@mp.nic.in

phone - 0755-2551485, fax - 2556527

क्रमांक 401/एम.डी.आर./निविदा /2017-18/1298
प्रति,

भोपाल, दिनांक 09/08/17

समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग

विषय:- लोक निर्माण विभाग द्वारा भविष्य में बुलाये जाने वाली निविदाओं के लिए माल एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) के संबंध में बाबत।
संदर्भ :- मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ/58/15/17/19/यो भोपाल, दिनांक 05 अगस्त 2017


—00—

विषयांतर्गत संबंध में शासन के संदर्भित आदेश की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि विभाग अंतर्गत भविष्य में बुलाई जाने वाली निविदाओं के लिए जी0एस0टी0 हेतु निविदा प्रपत्र में निम्नानुसार समावेश करना सुनिश्चित करें।

SECTION 3 (Conditions of Contract)
Part - II Special Conditions of Contract [SCC]
Additional Special Conditions of Contract

BIDDERS ARE REQUIRED TO OFFER THEIR BIDS EXCLUSIVE OF APPLICABLE GST. THE GST SHALL BE PAID BY THE GOVT. TO THE CONTRACTOR SEPARATELY. THE GOVT. ORDER IN THIS REGARD IS BEING UPLOADED HERE WITH साथ ही निविदा प्रपत्र में संदर्भित आदेश की छायाप्रति संलग्न की जावे।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


मुख्य अभियंता (प्रोक्यूरमेंट)
कार्या. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 09/08/17

क्रमांक 401/एम.डी.आर./निविदा /2017-18/1299

प्रतिलिपि :- (1) समस्त मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग।
(2) समस्त अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग।
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।


मुख्य अभियंता (प्रोक्यूरमेंट)
कार्या. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
भोपाल (म.प्र.)